न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2018

अपीलांट

1. श्यामलाल पुत्र लाबुराम जी
2. ओमप्रकाश पुत्र लाबुरामजी
3. रामलाल पुत्र लाबुराम जी जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण निमाज बमुकाम बेरा बडलिया, निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. ओमप्रकाश पुत्र छुगनचंद जाति ब्राहम्ण निवासी सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली।
2. घनश्याम पुत्र बोधुराम
3. ढगलराम पुत्र केतु
4. सरोज पुत्र लाबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी निमाज तहसील जैतारण जिल
5. गजराई पुत्री घेवरराम जातिगण कुमावत निवासीगण बुटीवास हाल निमाज बमुकाम बेरा बडलिया निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1894/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के संख्या 02, 03, 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम निमाज बेरा बडलिया में कृषि भूमि खसरा नंबर 499 रकबा 51 बीघा के संबध मे प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा कराने की इस्तदुआ चाही। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 449 रकबा 551 बीधा 03 बिस्वा पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश प्रदान किया गया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त खसरा में से केवल मात्र 2 बीघा आराजी खरीद की गई। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का 49 बीघा 03 बिस्वा पर कोई हक हकूक व अधिकार नही था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण खसरा 51 बीघा 3 बिस्वा पर स्थगन आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी को बंटवाडा नही हुआ है एवं रेस्पोडेन्ट को विधिक हिस्से पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है। एवं बिना बंटवाडा कराये रेस्पोडेन्ट को किसी विशिष्ठ हिस्से बाबत प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 18.12.2017 एवं दिनांक 11.04.2018 को अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा सरहद मौजा ग्राम निमाज बेरा बडलिया में कृषि भूमि खसरा नंबर 499 रकबा 51 बीघा में से 2 बीघा आराजी खरीद की गई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम निमाज बेरा बडलिया में कृषि भूमि खसरा नंबर 499 रकबा 51 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा कराने की इस्तदुआ चाही। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा ग्राम निम्बाज प्रथम के खसरा नंबर 449 में अपने खरीदशुदा व कब्जाशुदा आराजी 02 बीघा के बंटवाडा बाबत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो आदिनांक तक विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरे में से रेस्पोडेन्ट संख्या 05 को 03 बीघा आराजी बेचान की जो गजराई उक्त वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा में स्थित आम रास्ते के दक्षिण दिशा की भूमि पर मौके पर काबिज है तथा अपने हिस्से की भूमि पर सीमेंट के पीलर लगाकर एवं उस पर तारबंदी कर मौके पर काबिज है। जिसका पक्का रहवासीय मकान बना हुआ है। तथा गजराई के काबिज भूमि के उत्तर दिशा के अपीलांटगण ने अपने हिस्से की 02 बीघा आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान हस्तांतरण कर कब्जा सुपुर्द किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 51 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही पर मौके पर कुआ खोदा हुआ है। तथा खसरा नंबर 449 की भूमि सह खातेदारो के मध्य आपसी सहमति से विभाजित है। तथा अपने विभाजित भूमि के हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 05 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपर्द किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि के बंटवाडे हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया साथ ही उक्त भूमि में किसी अन्य को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जा सुपुर्द नही किये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे प्रकरण की स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2017 को वादग्रस्त भूमि की आगामी पेशी तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांटगण के नोटिस तामिल होने के पश्चात भी कोई जवाबदावा नियत अवधि में प्रस्तुत नही किया। तथा वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवाया। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा सरहद मौजा ग्राम निमाज बेरा बडलिया में कृषि भूमि खसरा नंबर 449 रकबा 51 बीघा में से 2 बीघा आराजी खरीद की गई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम निमाज बेरा बडलिया में कृषि भूमि खसरा नंबर 449 रकबा 51 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा कराने की इस्तदुआ चाही। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा में से 03 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 05 एवं 03 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान की। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त बेचाननामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जा अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जो आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा आराजी का बंटवाडा नही हुआ है। जिससे रेस्पोडेन्ट किसी विशिष्ठ हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। किन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 05 वादग्रस्त आराजी में खरीददार है। जिससे इनके हितो को अनदेखा करना उचित नही है। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करते है तो इससे निश्चय ही पक्षकारो के मध्य विवाद बढेगा, वाद बाहुल्यता बढेगी। जिससे इंकार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1894/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बंटवाडे के वाद को 6 माह में निर्णीत करे। उभयपक्ष तब तक वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रखे। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली